आदेश

सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या– 137/PS/Sec-H/2021 दिनांक 09 May 2021 के सन्दर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि कोविड–19 संक्रमण के उपचार हेतु चिन्हित कतिपय चिकित्सालयों द्वारा बैड की उपलब्धता को पारदर्शिता के साथ प्रतिदिन परिलक्षित नही किया जा रहा है, जिस कारण रोगियों को कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त के क्रम मे शासन के निर्देशानुसार कोविड–19 चिकित्सालयों के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु जनपद अन्तर्गत स्थापित समस्त कोविड–19 चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु निम्न अधिकारियों की संयुक्त टीम का फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाता हैः–

01– सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद, ऊधम सिंह नगर।
02– सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक जनपद ऊधम सिंह नगर।
03– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा नामित चिकित्सक

उपरोक्त गठित संयुक्त फ्लाइंग स्क्वाड में नामित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि समय समय पर संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत कोविड–19 चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें साथ ही उक्त की सूचना से अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त आदेश का उल्लघंन पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं कर्मचारी आचरण नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य होगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रंजना राजगुरू),
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर।

पत्र संख्या 7221 /आ0प्र0प्रा0/2021 दिनांक 10 मई, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनाताल को सूचनार्थ प्रेषित।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि संयुक्त फ्लाइग स्क्वाड टीम हेतु प्रत्येक परगने के लिये एक–एक चिकित्सक को नामित किया जाना सुनिश्चित करें।
5– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद ऊधम सिंह नगर को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6– समस्त पुलिस अधीक्षक, जनपद ऊधम सिंह नगर को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– जिला सूचना अधिकारी ऊधम सिंह नगर को जन समान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।